

पछिड़ा वर्ग पैनल को संवैधानिक दर्ज़ा?

संदर्भ

केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पछिड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्ज़ा दिये जाने के प्रयासों के कारण राजस्थान में गुरजर समुदायों को विशेष पछिड़ा वर्ग (एसबीसी) श्रेणी में आरक्षण दिये जाने का मुद्दा जटिल हो गया है।

प्रमुख घटनाक्रम

- राष्ट्रीय पछिड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्ज़ा दिये जाने संबंधी एक वधियक को संसद के इसी मानसून सत्र में पारित किया जा सकता है।
- एनसीबीसी को संवैधानिक दर्ज़ा दिये जाने से आरक्षण के लिये पछिड़ा वर्ग की सूची में वभिन्न जातियों एवं वर्गों के नामों को जोड़ने या घटाने की राज्यों की शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। तब राज्य सरकारों के पास केवल इस संबंध में सफ़ारिश करने की शक्ति रह जाएगी।
- गौरतलब है कि राजस्थान में गुरजर समुदाय स्वयं को विशेष पछिड़ा वर्ग (एसबीसी) श्रेणी में आरक्षण दिये जाने की माँग कर रहा है।
- राजस्थान में इस आरक्षण के आंदोलन में शामिल गुरजर युवाओं के खिलाफ अदालतों और पुलिस स्टेशन सत्र पर 274 अपराधिक मामले दर्ज़ हैं।

राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पछिड़ा वर्ग आयोग

- देश के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पछिड़े लोगों की आवाज सुनने के लिये अब पहली बार संवैधानिक व्यवस्था होने जा रही है। केंद्र सरकार ने इसके लिये "राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पछिड़ा वर्ग आयोग" के गठन को मंजूरी दे दी है।
- नया आयोग पछिड़े वर्ग की अपने सत्र से पहचान भी करेगा, जिसे मानना सरकार के लिये बाध्यकारी होगा।
- देश में पछिड़े वर्गों की पहचान और उनकी शिकायतों की सुनवाई के लिये केंद्र सरकार ने यह एक बड़ा कदम उठाया है।
- इसका नाम "राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पछिड़ा वर्ग आयोग" होगा। साथ ही इसे संवैधानिक दर्ज़ा हासिल होगा। इसके लिये संसद में जल्दी ही संविधान संशोधन वधियक लाया जाएगा।
- इसके साथ ही पहले से चले आ रहे राष्ट्रीय पछिड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को समाप्त कर दिया जाएगा।
- इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे। यह वभिन्न वर्गों की ओर से पछिड़े वर्ग में शामिल किए जाने की माँग पर भी विचार करेगा। साथ ही पछिड़ा वर्ग की सूची में किसी खास वर्ग के ज्यादा प्रतिनिधित्व या कम प्रतिनिधित्व पर भी यही सुनवाई करेगा।
- पछिड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में किसी भी वर्ग को जोड़ने या हटाने के लिये संसद की स्वीकृति लेने संबंधी अनुच्छेद 342(ए) जोड़ा जाएगा। यह भी तय किया गया है कि आयोग की सफ़ारिश सामान्य तौर पर सरकार को माननी ही होगी।

वर्तमान में पछिड़ा वर्ग आयोग की स्थिति

- वर्तमान राष्ट्रीय पछिड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्ज़ा प्राप्त नहीं है। यह केंद्र सरकार के सामाजिक कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय के तहत चलने वाला वैधानिक आयोग है। 1993 में संसद में पारित कानून के तहत मौजूदा आयोग का गठन किया गया था।
- यह एक वैधानिक संस्था है। इसके तहत सरकार के सत्र पर ही फैसले होते हैं।
- आयोग का एक अध्यक्ष होता है और चार अन्य सदस्य होते हैं।
- इसका काम किसी वर्ग को पछिड़ों की सूची में शामिल किये जाने के अनुरोधों की जाँच करना है। आयोग केंद्र सरकार को ऐसे सुझाव देता है, जो उसे उचित लगता है।